प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978

(1978 का अधिनियम संख्यांक 37)

(7 सितम्बर, 1978)

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाये रखने और उनमें सुधार करने के प्रयोजन के लिए एक प्रेस परिषद् की स्थापना के लिए अधिनियम ।

भारतीय गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में संसद **द्वारा** निम्नलिखित रूप में यह अधिनिय**मित** हों -

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

2. परिभाषाऐं – इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) **"अध्यक्ष"** से परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत हैः

(ख) **'परिषद्'** से धारा 4 के अधीन स्थापित भारतीय प्रेस परिषद् अभिप्रेत हैः

(ग) **'सदस्य'** से परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसका अध्यक्ष भी हैः

(घ) **'विहित'** से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैः;

(ड़) **'सम्पादक'** और **'समाचारपत्र'** पदों के वही अर्थ हैं जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 में हैं और 'श्रमजीवी पत्रकार' पद का वही अर्थ है जो 'श्रमजीवी पत्रकार' और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1955 में हैं ।

(1867 का 25, 1955 का 45)

3. उन अनियमितताओं के सम्बन्ध में अर्थान्वयन का नियम जिनका विस्तार जम्मू कश्मीर और सिक्किम राज्यों पर नहीं --- इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति निर्देश का जो जम्मू-कश्मीर अथवा सिक्किम राज्यों में प्रवृत्त नहीं है, ऐसे राज्य के सम्बन्ध में अर्थान्वयन ऐसे राज्य में प्रवृत्त विधि के प्रति तत्स्थानीय निर्देश से, यदि कोई हो, किया जाएगा ।

अध्याय 2

प्रेस परिषद् की स्थापना

4. परिषद् का निगमन – (1) उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, भारतीय प्रेस परिषद् के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जायेगी ।

(2) उक्त परिषद् शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी और उक्त नाम से वह वाद लायेगी और उस पर वाद लाया जाएगा ।

5. परिषद् की संरचना – (1) परिषद् एक अध्यक्ष और अट्ठाईस अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(2) अध्यक्ष, ऐसा व्यक्ति होगा जो समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और यह समिति राज्य सभा के सभापति, लोक सभा के अध्यक्ष और उपधारा (6) के अधीन परिषद् के सदस्यों द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति से मिलकर बनेगी और इस प्रकार किया गया नामनिर्देशन उस तारीख से प्रभावी होगा जिससे वह केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है ।

(2) **अन्य सदस्यों में से** -

(क) तेरह श्रमजीवी पत्रकार ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे जो विहित की जाये, जिनमें छः समाचारपत्रों के सम्पादक होंगे और शेष सात, सम्पादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार होंगे, किन्तु भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचारपत्रों के सम्बन्ध में ऐसे सम्पादकों की और संपादकों से भिन्न ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या क्रमशः तीन और चार से कम नहीं होगी ;

(ख) छः उन व्यक्तियों में से, जो समाचारपत्रों के स्वामी हों या समाचारपत्रों के प्रबन्ध का कारोबार करते हों, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे जो विहित की जाए, किन्तु यह इस प्रकार किया जायेगा कि बड़े समाचारपत्रों, मध्यम समाचारपत्रों और छोटे समाचारपत्रों के प्रत्येक प्रवर्ग में से दो प्रतिनिधि होंगे ;

(ग) एक उन व्यक्तियों में से, जो समाचार एजेंसियों का प्रबन्ध करते हों, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो विहित की जाये ;

(घ) तीन ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें शिक्षा और विज्ञान, विधि और साहित्य तथा संस्कृति के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो और इनमें से क्रमशः एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, एक भारत की विधिज्ञ परिषद् द्वारा और एक साहित्य अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ;

(ड़) पाँच संसद सदस्य होंगे, जिनमें से तीन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे और दो राज्यसभा के सभापति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ;

परन्तु कोई श्रमजीवी पत्रकार, जो किसी समाचारपत्र का स्वामी हो या उसके प्रबन्ध का कारोबार करता हो, खंड (क) के अधीन नामनिर्देशन का पात्र न होगा ;

परंतु यह और कि खंड (क) और (ख) के अधीन नामनिर्देशन इस प्रकार किये जायेंगे कि नामनिर्देशित व्यक्तियों में एक से अधिक ऐसे व्यक्ति न हों जो किसी समाचारपत्र में या एक ही नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन समाचारपत्रों के किसी समूह में हितबद्ध हों ।

'(स्पष्टीकरण - 'खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, एक 'समाचारपत्र' को उसके प्रत्येक अंक के परि**चा**लन के आधार पर बड़े, मझोले अथवा छोटे समाचारपत्र के रूप में वर्गीकृत **माना जायेगा,** जैसाकि केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियमित क**रे** ।**)**

---

1 1994 **के अधिनियम** 36 **द्वारा प्रतिस्थापित स्पष्टीकरण हेतु** (3-6-1994 **से प्रभावी**)

(4) उपधारा (3) के खंड (क) खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई नामनिर्देशन करने के पूर्व प्रथम परिषद् की दशा से केन्द्रीय सरकार और किसी पश्चात्वर्ती परिषद् की दशा में पूर्ववर्ती परिषद् का निवृत्त होने वाला अध्यक्ष, उक्त खंड (क),खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्तियो के ऐसे संगमों से, जो प्रथम परिषद् की दशा में,केन्द्रीय सरकार द्वारा और पश्चात्वर्ती परिषदों की दशा में स्वयं परिषद् द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जायें, नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले सदस्यों की दुगुनी संख्या में नामों के पैनल विहित रीति से आमंत्रित करेगा । ऐसी समाचार एजेंसियों **से,** जो उपर्युक्त रूप में अधिसूचित की जायें, नामों के पैनल आमंत्रित किये जायेंगे ।

बशर्ते उस **श्रेणी** जिसका हवाला कथित खंड (ग) में दिया गया **हो**, के व्यक्तियों का कोई संगम न हो, नामों के पैनल ऐसी समाचार एजेंसियों से आमंत्रित किये जायेंगे जैसाकि उपर्युक्त अधिसूचित किया **जाये** । .

(5) केन्द्रीय सरकार उपधारा (3) के अधीन सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम, राजपत्र में अधिसूचित करेगी और ऐसा प्रत्येक नामनिर्देशन उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन उसे अधिसूचित किया जाता है ।

(6) उपधारा (5) के अधीन अधिसूचित परिषद् के सदस्य उपधारा (2) में निर्दिष्ट समिति का सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति को अपने में से ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में निर्वाचित करेंगे जो विहित की जाये और ऐसे निर्वाचन के प्रयोजन के लिए परिषद् के सदस्यों के अधिवेशन का सभापतित्व वह व्यक्ति करेगा जो उनके द्वारा अपने में से चुना गया हो ।

टिप्पणियां

भारतीय प्रेस परिषद्, जी एस आर 633 (ई), दिनांक 5 अगस्त, 1994 के जरिये प्रेस परिषद् अधिनियम 1978 (1978 का 37) की धारा 5 की उपधारा (4) के अनुसरण में उक्त धारा की उपधारा (3) के खण्ड (क) एवं खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के निम्नलिखित व्यक्ति संगमों और खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए समाचार अभिकरणों को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

(I) **धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्ति संगम** :-

(1) एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, दिल्ली	**श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि**
(2) ऑल इंडिया न्यूजपेपर्स एडीटर्स कान्फ्रैन्स, दिल्ली	**निकायों के रूप में - जोकि संपादक हैं**

(3) **दि प्रेस एसोसिएशन, दिल्ली**

(4) **नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (I) दिल्ली** — **संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकारों**

(5) **इंडियन फैडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, दिल्ली** — **के प्रतिनिधि निकायों के रूप में**

(6) **इंडियन जर्नलिस्ट्स यूनियन, दिल्ली**

(II) **धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्ति संगम** :-

(1) **दि इंडियन न्यूजपेपर्स सोसायटी, दिल्ली** — **बड़े, मध्यम और छोटे समाचारपत्रों के स्वामियों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में**

(2) **ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फैडरेशन, दिल्ली**

(3) **ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स एसोसिएशन, दिल्ली** — **मध्यम और छोटे समाचारपत्रों के स्वामियों और प्रबंधकों के प्रतिनिधि निकायों के रूप में**

(4) **इंडियन फैडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स, दिल्ली**

(III) **धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों में से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने के प्रयोजन के लिए समाचारपत्र अभिकरण** :-

(1) **दि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड ।**

6. सदस्यों की पदावधि और निवृत्ति – (1) इस धारा में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय अध्यक्ष और अन्य सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

परंतु अध्यक्ष ऐसा पद, धारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में परिषद् के पुर्नगठित होने तक या छः मास की अवधि के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारण करते रहेंगे ।

(2) यदि धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति धारा 14 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन परिनिंदित किया जाता है तो वह परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा ।

(3) धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उसी समय समाप्त हो जायेगी जब वह उस सदन का सदस्य न रह जाये जिससे वह नामनिर्दिष्ट किया गया था ।

(4) यदि कोई सदस्य किसी ऐसे प्रतिहेतु के बिना, जो परिषद् की राय में पर्याप्त हो, परिषद् के तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है ।

(5) अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और कोई भी अन्य सदस्य, अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जायेगा कि यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद त्याग दिया है ।

(6) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) का उपधारा (5) के अधीन या अन्यथा होने वाली कोई रिक्ति, यथाशक्ति शीघ्र, उसी रीति से नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी जिस रीति से पद रिक्त करने वाले सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया गया था और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य, उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह सदस्य जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया है, **पद** धारण करता है ।

(7) निवृत होने वाला सदस्य एक से अधिक की पदावधि के लिए पुनः नाम-निर्देशित किए जाने का पात्र न होगा ।

7. सदस्यों की सेवा शर्तें – (1) अध्यक्ष पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसे ऐसा वेतन दिया जायेगा जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे और अन्य सदस्य परिषद् के अधिवेशनों में हाजिर होने के लिए ऐसे भत्ते या फीस प्राप्त करेंगे जो विहित की जाये ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सदस्यों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें ।

(3) इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि परिषद् के सदस्य का पद उसके धारक को संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या रहने के लिए अनर्हित नहीं करेगा ।

8. परिषद् की समितियाँ – (1) परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए अपने सदस्यों में से साधारण या विशेष प्रयोजन के लिए ऐसी समितियों का गठन कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित प्रत्येक समिति ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो परिषद् उसे सौंपे ।

(2) परिषद् को उतनी संख्या में, जितनी वह ठीक समझे, ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो परिषद् के सदस्य नहीं हैं, उपधारा (1) के अधीन गठित किसी समिति के सदस्यों के रूप में सहयोजित करने की शक्ति हो**गी** ।

(3) किसी भी ऐसे सदस्य को उस समिति के किसी भी अधिवेशन में, जिनमें उसे इस प्रकार सहयोजित किया गया है, हाजिर होने का और वहाँ पर चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा ।

9. परिषद् और समितियों के अधिवेशन – परिषद् या उसकी किसी समिति का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा और वह अपने अधिवेशनों में कारोबार के संव्यवहार के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा उपबंधित किये जायें ।

10. परिषद् के सदस्यों में रिक्तियाँ होने या उनके गठन में त्रुटि होने से परिषद् के कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना --- परिषद् का कोई भी कार्य या उनकी कोई भी कार्यवाही परिषद् में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि के कारण ही अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी ।

11. परिषद् के कर्मचारीवृन्द – (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जायें, परिषद् एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक समझें ।

(2) कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें वे होंगी जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें!

12. परिषद् के आदेशों और अन्य लिखितों का अधिप्रमाणन – परिषद् के सभी आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन अध्यक्ष या परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य सदस्य के

हस्ताक्षर से होगा और परिषद् द्वारा निकाले गये अन्य लिखितों का अधिप्रमाणन सचिव या परिषद् के किसी ऐसे अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से होगा जो इस निमित्त उसी रीति से प्राधिकृत हो ।

अध्याय 3

परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य

13. परिषद् के उद्देश्य और कृत्य – (1) परिषद् का उद्देश्य भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर बनाये रखना तथा उनमें सुधार करना होगा ।

(2) परिषद् अपने उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात् -

(क) समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों द्वारा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना;

(ख) समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए उच्च वृत्तिक स्तर के अनुसार एक आचार-संहिता बनाना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से लोक-रूचि के उच्च स्तर बनाये रखे जायें और नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्वों दोनों की सम्यक् भावना का पोषण करना;

(घ) उन सब व्यक्तियों में जो पत्रकारिता की वृत्ति में लगे हुए हैं, उत्तरदायित्व और लोक-सेवा की भावना प्रोत्साहित करना;

(ड़) ऐसी किसी भी बात पर जिससे लोकहित और लोक-महत्व के समाचार के प्रदाय और प्रसार का निर्बन्धन संभाव्य हो विचार करते रहना;

(च) भारत में किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसियों द्वारा किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त सहायता के मामलों का जिनके अन्तर्गत वे मामले भी हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्देशित किए जायें, या किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के संगम या अन्य संगठन द्वारा उसकी जानकारी में लाये जायें पुनर्विलोकन करते रहना;

परन्तु इस खंड की कोई बात भारत के किसी भी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी द्वारा किसी विदेशी स्रोत से प्राप्त सहायता के किसी मामले में किसी अन्य ऐसी रीति से जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, कार्यवाही करने से केन्द्रीय सरकार को प्रतिबाधित नहीं करेगी;

(छ) विदेशी समाचारपत्रों के, जिनके अन्तर्गत किसी राजदूतावास द्वारा या भारत में विदेशी राज्य के किसी प्रतिनिधि द्वारा निकाली गयी पत्रिकाएं भी हैं, अध्ययन का भार अपने ऊपर लेना, उनका परिचालन और प्रभाव;

स्पष्टीकरण - इस खण्ड के प्रयोजन के लिए **"विदेशी राज्य"** पद का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया **संहिता 1908 की धारा 87(क) में है,**

(1908 का 5)

(ज) माचारपत्र निकालने या उसके प्रकाशन में या समाचार एजेंसियों में लगे व्यक्तियों के सभी वर्गो में उचित कृत्यिक सम्बन्ध की अभिवृद्धि करना;

परन्तु इस खण्ड की कोई बात परिषद् उन विवादों की बाबत कोई कृत्य सौंपने वाली नहीं समझी जायेगी जि**नपर** औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू है; (1947 का 14);

(झ) समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के संकेद्रण या उनके अन्य पहलुओं से संबंधित ऐसी घटना पर निगाह रखना जिनका प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रभाव पड़ सकता हो;

(ञ) ऐसे अध्ययन कार्य हाथ में लेना जो परिषद् को सौंपे जायें और किसी ऐसे विषय के बारे में अपनी राय प्रकट करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाये;

(ट) ऐसे अन्य कार्य करना जो उप**र्युक्त** कृत्यों के निर्वहन के आनुषंगिक या साधक हों ।

14. परिनिंदा करने की शक्ति – (1) जहाँ परिषद् को, उससे किए गए परिवाद के प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसी ने

पत्रकारिक सदाचार या लोक-रूचि के स्तर का अतिवर्तन किया है या किसी सम्पादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई वृत्तिक अवचार किया है, वहाँ परिषद् सम्बद्ध समाचारपत्र या समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस रीति से जाँच कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गये विनियमों द्वारा उपबन्धित हो और यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, यथास्थिति उस समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार को चेतावनी दे सकेगी, उसकी भर्त्सना कर सकेगी या उसकी परिनिंदा कर सकेगी या उस संपादक या पत्रकार के आचरण का अनअनुमोदन कर सकेगी;

परन्तु यदि अध्यक्ष की राय में जांच करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो परिषद् किसी परिवाद का संज्ञान नहीं कर सकेगी ।

(2) यदि परिषद् की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह किसी समाचारपत्र से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह समाचारपत्र या समाचार एजेंसी, संपादक या उसमें कार्य करने वाले पत्रकार के विरूद्ध इस धारा के अधीन किसी जांच से संबंधित किन्हीं विशिष्टियों को, जिनके अन्तर्गत उस समाचारपत्र, समाचार एजेंसी, सम्पादक या पत्रकार का नाम भी है उसमें ऐसी रीति से जैसा परिषद् ठीक समझे प्रकाशित करे ।

(3) उपधारा (1) की किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि वह परिषद् को किसी ऐसे मामले में जाँच करने की शक्ति प्रदान करती है जिसके बारे में कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लम्बित हो ।

(4) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिषद् का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा ।

15. परिषद् की साधारण शक्तियाँ – (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन या कोई जाँच करने के प्रयोजन के लिए परिषद् को निम्नलिखित **मामलों** के बारे में संपूर्ण भारत में वही शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निहित है, अर्थात् ------

(1908 का 5)

(क) व्यक्तियों को समन करना और हाजिर कराना तथा उनकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनका निरीक्षण;

(ग) शपथ**पत्रों पर** साक्ष्य **ले**ना;

(घ) किसी न्यायालय **या** कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अध्यपेक्षा करना;

(ड़) साक्षियों **या** दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन **जारी करना; और**

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी समाचापत्र, समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार को उस समाचारपत्र द्वारा प्रकाशित या उस समाचार एजेंसी, संपादक या पत्रकार द्वारा प्राप्त **या** रिपोर्ट किये गये किसी समाचार या सूचना का स्त्रोत प्रकट करने के लिए विवश करने वाली नहीं समझी जायेगी ।

(3) परिषद् द्वारा की गयी प्रत्येक जाँच भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी । (1860 का 45)

(4) यदि परिषद् अपने उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए या अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए आवश्यक समझती है तो वह अपने किसी विनिश्चय में या रिपोर्ट में किसी प्राधिकरण के, जिसके अन्तर्गत सरकार भी है, आचरण के सम्बन्ध में ऐसा मत प्रकट कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

16. फीस का उद्ग्रहण – (1) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए फीस ऐसी दर पर और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों **से** उद्ग्रहीत कर सकेगी और विभिन्न समाचारपत्रों के लिए विभिन्न दरें, उनके प्रचार और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए विहित की जा सकेगी ।

(2) परिषद् को उपधारा (1) के अधीन संदेय कोई फीस, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

टिप्पणियां

(i) 'लेवी' शब्द का अर्थ वसूल **करना** या उगाहना है : मेहताब सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1979) 4 एससीसी 597.

(ii) शुल्क, कानूनी अर्थ में शुल्क, को दो शर्तें पूरी करनी चाहिए – (1) हरजाना का भाव होना चाहिए अर्थात शुल्क लगाने वाले प्राधिकरण को **लगाये गये** शुल्क के लिये कुछ सेवा उपलब्ध करानी चाहिए चाहे सेवा कितनी भी दूर हों, (2) वसूल किया **गया** शुल्क आरोपण पर व्यय करना चाहिए और वह राज्य के सामान्य राजस्व का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मुख्य आयुक्त बनाम सीएएल एआईआर 1978 एससी 1181.

(iii) न्यायालय द्वारा निर्णय देने पर कि लेवी शुल्क है, तो यह प्राधिकरण को सिद्ध करना है कि वह शुल्क उगाही की श्रेणी की कुछ विशेष सेवाएं उपलब्ध करे और कुल संग्रहीत राशि और सेवाओं पर व्यय के बीच कुछ सम्बन्ध होना चाहिए। शुल्क को हरजाने के रूप में सही ठहराया जाए। मेहता इस्पात लि. बनाम सीए**मओ** एआईआर 1981 एमपी 62.

17. परिषद् को संदाय – केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये **सम्**यक विनियो**जन** के पश्चात**;** परिषद् की ऐसी धनराशियों का संदाय अनुदानों के रूप में कर सकेगी जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

18. परिषद् की निधि – (1) परिषद् की अपनी निधि होगी और परिषद् द्वारा संगृहीत फीस और ऐसी सब राशियां, जो समय-समय पर उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त की जायें और सभी अनुदान तथा अग्रिम धन, जो उसे किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति द्वारा दिये गये हैं, निधि में जमा किये जायेंगे और परिषद् द्वारा सभी संदाय उस निधि में से किये जायेंगे ।

(2) परिषद् का सब धन ऐसे बैंकों में नि**वेश** किया जायेगा या ऐसी रीति से विनिहित किया जायेगा जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से परिषद् विनिश्चय करे ।

(3) परिषद् ऐसी राशियाँ व्यय कर सकेगी जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए ठीक समझे और ऐसी राशियाँ परिषद् की निधि में से देय व्यय मानी जायेंगी ।

19. बजट – प्रत्येक वर्ष में परिषद् ऐसे रूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, आगामी वित्तीय वर्ष के बारे में बजट तैयार करेगी, जिसमें प्राक्कलित आय और व्यय दर्शित होंगे और उसकी प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जायेंगी ।

20. **वार्षिक रिपोर्ट** – परिषद् प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे रूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाये, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें पूर्व वर्ष में किये गये अपने कार्यकलापों का संक्षेप **में उल्लेख होगा** और समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्त**रों** और उन **कारकों का लेखा-जोखा होगा, जो उन्हें प्रभावित करे** और उसकी प्रतियां धारा 22 के अधीन विहित **परीक्षा के** लेखा विवरण सहित केन्द्रीय सरकार को अ**ग्रे**षित की जायेंगी और सरकार उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी ।

21. **अन्तरिम रिपोर्ट** – धारा 20 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् एक वर्ष में किसी भी समय, उस वर्ष के दौरान अपने ऐसे क्रियाकलापों का संक्षेप **में विवरण** देते हुए रिपोर्ट तैयार कर सकेगी जिन्हें वह लोक महत्व का समझें और उसकी प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित की जायेंगी और सरकार उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी ।

22. **लेखा और संपरीक्षा** – परिषद् के लेखे ऐसी रीति से रखे और संपरीक्षित किये जायेंगे जो भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित की जाये ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

23. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण** – (1) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी हो या की जाने के लिये आशयित हो परिषद् या उसके किसी भी सदस्य या परिषद् के नि**दे**श के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होगी ।

(2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी समाचारपत्र में परिषद् के प्राधिकार से प्रकाशित किसी भी विषय के बारे में उस समाचारपत्र के विरूद्ध नहीं होगी ।

24. **सदस्य आदि लोक सेवक होंगे** – परिषद् का प्रत्येक सदस्य और परिषद् द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा । (1860 का 45)

25. नियम बनाने की शक्ति – (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी ।

परन्तु जब परिषद् स्थापित कर दी गई हो तब ऐसे कोई भी नियम, परिषद् से परामर्श किये बिना नहीं बनाये जायेंगे ।

(3) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए भी उपबन्ध कर सकेंगे अर्थात् :

(क) धारा 5 **की** उपधारा (3) के खण्ड (क) खण्ड (ख) और खण्ड (ग) के अधीन परिषद् के सदस्यों के नाम निर्देशन की प्रक्रियाः

(ख) वह रीति जिस**में** धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन नामों के पैनल आमंत्रित किये जा सकेंगे;

(ग) धारा 5 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समिति के सदस्य की उक्त धारा की उपधारा (6) के अधीन निर्वाचित करने की प्रक्रिया;

(घ) वे भत्ते और फीसें जो परिषद् के सदस्यों के परिषद् के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए संदत्त की जायें और धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के अधीन ऐसे सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें;

(ड.) धारा 11 के अधीन परिषद् के सचिव और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति;

(च) धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (च) में निर्दिष्ट विषय;

(छ) वे दरें जिन पर परिषद् द्वारा धारा 16 के अधीन फीस उदगृहीत की जा सकेगी और वह रीति जिससे ऐसी फीस उद्गृहीत की जा सकेगी;

(ज) वह रूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर बजट और वार्षिक रिपोर्ट क्रमशः धारा 19और धारा20 के अधीन परिषद् द्वारा तैयार किये जाने हैं ।

(झ) वह रीति जिस**में** परिषद् के लेखे रखे जायेंगे और धारा 22 के अधीन **उनकी** संपरीक्षा की जायेगी;

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जायेगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जायें तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिव**र्तित** रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जायें कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चा**त्** वह निष्प्रभा**वी** हो जायेगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभा**व** होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि–मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

26. विनियम बनाने की शक्ति – '**[**(1)] परिषद् 2[**राजपत्र में अधिसूचना द्वारा**] निम्नलिखित के लिए ऐसे विनियम बना सकेगी जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हों,अर्थात् **-**

(क) परिषद् या उसकी किसी समिति के अधिवेशनों और उनमें कामकाज की प्रक्रिया **का** धारा 9 के अधीन विनियमन ;

(ख) परिषद् द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों की सेवा नि**बंधन एवं शर्तें** धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन विनि**र्दिष्ट करना;**

(ग) **इस अधिनियम** के अधीन कोई जाँच करने की रीति का विनियमन;

(घ) ऐसी श**र्तें** जिन्हें **परिषद् अधिरोपित** करना ठी**क** समझे, **के अधीन रहते हुए** परिषद् के अध्यक्ष या सचिव को धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन अपनी शक्तियों में से किसी का प्रत्यायोजन;

(ड.) कोई अन्य विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबन्ध किया जा सकता है :

---

1. **1983 के अधिनियम 20,धारा 2 और अनुसूची (15-3-1984 से प्रभावी) द्वारा धारा 26 को उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्याबद्ध किया गया**
2. **1983 का अधिनियम 20, धारा 2 और अनुसूची (15-3-1984 से प्रभावी)**

परन्तु खंड (ख) के अधीन बनाए गए विनियम केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही बनाए जाएंगे ।

'[(2) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक विनियम को, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जायें कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

27. 1867 के अधिनियम,, 25 का संशोधन--- (1988 के अधिनियम 19, धारा 2, अनुसूची I दिनांक 4 अप्रैल, 1988 द्वारा निरस्त)

1983 का अधिनियम 20**, धारा 2और अनुसूची (15-3-1984 से प्रभावी)**

कृपया नोट करें

''**प्रस्तुत अधिनियम मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 का हिंदी अनुवाद है । यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित अधिनियम मान्य होगा ।**"

भारतीय प्रेस परिषद् का गठन

अध्यक्ष
धारा 5(4) के अधीन

गैर सरकारी
सदस्य(28)
धारा 5(3)के अधीन

धारा 5(3)(क) के अधीन		धारा 5(3)(ख) के अधीन			धारा 5(3)(ग) के अधीन	धारा 5(3)(घ) के अधीन	धारा 5(3)(ड़) के अधीन
संपादकों की श्रेणी (6)	श्रमजीवी पत्रकारो (7)	बड़े समाचारपत्र (2)	मझौले समाचारपत्र (2)	लघु समाचारपत्र (2)	न्यूज़ एजेंसिया (1)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1 विधिज्ञ परिषद् 1 साहित्य अकादमी 1	लोक सभा 3 राज्य सभा 2

भारतीय प्रेस परिषद् का संगठनात्मक चार्ट